2540 1000Rs.

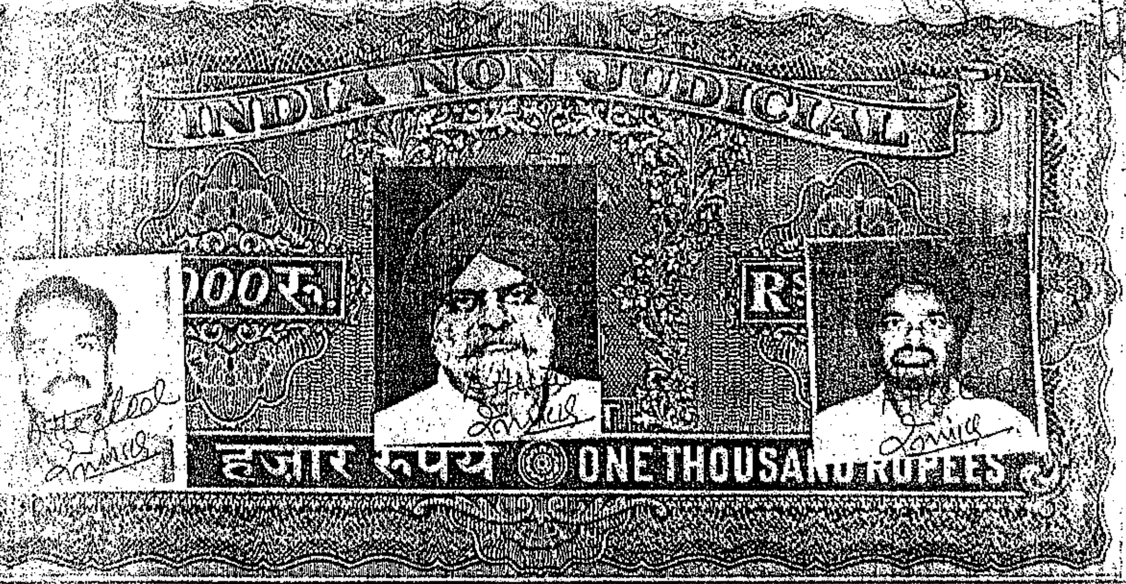

कानपुर विकास प्राधिकरण

पट्टागत प्राधिकरण भूमि के फ्रीहोल्ड का विलेख

कानपुर विकास प्राधिकरण की भूखण्ड से सम्बद्ध भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु फ्रीहोल्ड यह विलेख सन् 1999 ई0 के . . मार्च . . . मास के . . तीसरे . . . वें दिन कानपुर विकास प्राधिकरण (जिसको यहाँ आगे चलकर "विक्रेता" कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा सर्वश्री महेन्द्र सिंह, चरनजीत सिंह व सुरजीत सिंह पुत्रगण स्व0 मेंहगा सिंह सभी निवासीगण 122/125 सरोजनी नगर, कानपुर (जिनको यहाँ आगे चलकर "क्रेता" कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है ।

जुरल स्टाम्प रु0 . 1600:00 . . . संलग्न है ।

चूंकि कानपुर विकास प्राधिकरण एवं सर्वश्री महेन्द्र सिंह, चरन जीत सिंह व सुरजीत सिंह के मध्य निष्पादित पट्टाविलेख दिनांक 1. 10. 91 जो बही सं0-1 जिल्द सं0 792/814 के पृष्ठ सं0 57/203/222 पर विलेख संख्या 2019/2020 के रूप में सब रजिस्ट्रार कानपुर के कार्यालय में दिनांक 21. 10. 91 को रजिस्टर्ड है (जिसे आगे "पट्टाविलेख" कहा गया है और जिसमें कानपुर विकास प्राधिकरण को "पट्टादाता" और सर्वश्री महेन्द्र सिंह, चरनजीत सिंह व सुरजीत सिंह को "पट्टेदार" कहा गया है) के अनुसार पट्टाविलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड से सम्बद्ध भूमि (जिसे आगे चलकर "सम्पत्ति" कहा गया है) एवं जिसे इस विलेख की अनुसूची में भी वर्णित किया गया है, का पट्टेदार है/के पट्टेदार से पट्टागत भूमि का क्रेता/वैध अन्तरिती है ।

Mahender Singh Charanjeet Singh
Mahender Singh Surjeet Singh
Mahender Singh Charanjeet Singh Surjeet Singh

For Collage Group Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

2215

क्रमांक .... मूल्य ....

नाम ....

पिता का नाम ....

निवासी ....

प्रमाणित किया जाता है कि फोटो स्टेट कापी असल दस्तावेज की सत्य एवं यथार्थ प्रति है।

मुद्रांक अनुज्ञापी

कानपुर विकास प्राधिकरण

(नगर निगम) मोतीझील

कानपुर नगर 22/12/88

15440

320 32 32 380 3000

श्री .... मिश्रा पुत्र श्री .... मिश्रा

निवासी ....

ने यह लेखपत्र कार्यालय उपनिबन्धक कानपुर नगर में आज दिनांक 17/5 को समय 3 बजे निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया।

उप निबन्धक

कानपुर नगर

7/5/98

12/12

ने इस लेखपत्र का निष्पादन स्वीकार किया।

विक्रय धन रू० ....

प्राप्त करना स्वीकार किया जिनकी पहचान श्री .... सिंह पुत्र श्री .... निवासी .... ने की।

F-203

उप निबन्धक

कानपुर नगर

17/5/98

बही सं० .... जिल्द .... पृष्ठ .... पर क्रमांक 156 पर दिनांक 29/5/86 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

Rohini, Rajender Singh, Charanjeet Singh

लेखपत्र के उपरोक्त पक्ष सांप्रति के अंगूठे निशान लिए गए हैं।

उप निबन्धक

कानपुर नगर

17/4/1

500Rs

INDIA NON JUDICIAL

500 रु.   Rs 500

भारत

पांच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

और चूंकि क्रेता ने इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/भवन जिसका कि वह पट्टेदार/जिसके पट्टेदार से पट्टागत भूमि/भवन का वह वैध अन्तरिती है, को प्राधिकरण की भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक शासनादेश संख्या-1639/1-आ-95-80मित/86 दिनांक 10.5.95 एवं शासनादेश संख्या-1778/9-आ-1-213/डी.ए./94 दिनांक 24.5.95 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार फ्रीहोल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने तथा उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, कानपुर को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दिया है।

और चूंकि क्रेता द्वारा सम्पत्ति के संबंध में सम्पूर्ण देय लीज रेन्ट का भुगतान विक्रेता को कर दिया गया है जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद्द्वारा स्वीकार करता है।

....3...पर

Mahender Singh Charanjeet Singh

Deputy Secretary ZONE-4

For College Group Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

क्रमांक 22/10 मूल्य

नाम ....

पिता का नाम ....

निवासी ....

12.2/1/25

स्टाम्प प्रभारी
द्वितीय अधिकारक
कानपुर विकास प्राधिकरण
(नगर निगम) मोतीझील
कानपुर नगर

2/12/05

[illegible]

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रूपये ONE HUNDRED RUPEES

और चूंकि क्रेता द्वारा भूखण्ड से सम्बद्ध भूमि के कुल मूल्य रु0 1,28,670.00 केवल (रु0 एक लाख अठ्ठाइस हजार छः सौ सत्तर केवल) के बारह प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क रु0 15,440.40पैसे केवल (रु0 पन्द्रह हजार-चार सौ चालीस व पैसे चालीस केवल) का भुगतान भी विक्रेता को कर दिया गया है। जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद्द्वारा स्वीकार करता है।

और चूंकि क्रेता द्वारा भूखण्ड के कुल निर्धारित मूल्य रु0 1,28,670.00 केवल (रु0 एक लाख अठ्ठाइस हजार छः सौ सत्तर केवल) का भुगतान भी विक्रेता को कर दिया गया है अतः विक्रेता ने क्रेता को इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड संख्या 543/9 ब्लाक संख्या के योजना संख्या-2 किदवईनगर, कानपुर कुल क्षेत्रफल 4289.00 वर्गगज है पर आगे अभिव्यक्त शर्तों के अधीन सिनेमा बिल्डिंग प्रयोजन हेतु निजी स्वामित्व देना (फ्रीहोल्ड करना) सचिव महोदय के आदेश दिनांक 26.3.99 द्वारा स्वीकार कर लिया है।

ह0/-

[illegible].4.पर

Mahender Singh Charanjeet Singh

Mahender Singh Surjeet Singh

Mahender Singh Charanjeet Singh Surjeet Singh

D. S. RATHORE
Deputy Secretary
ZONE-5

For Collage Group Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

[illegible] 100 ([illegible] 20-03-99

[illegible]

[illegible]

भूखण्ड/~~भवन~~ सं० 543/9 ब्लाक सं० कै योजना सं० –2, किदवई…

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यय होगा, क्रेता वहन करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द 'विक्रेता' और 'क्रेता' के सम्बन्ध में जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, विक्रेता में उसके उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा क्रेता में उसके दायाधिकारियों, निष्पादकों, प्रवन्धकों प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्त भाव हो।

इस विलेख के साक्ष्य में क्रेता ने और विक्रेता की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी हैं।

इसमें अभिदिष्ट अनुसूची निम्नांकित हैं।

भूखण्ड/~~भवन~~/संख्या 543/9 ब्लाक संख्या कै
योजना संख्या –2, किदवईनगर स्थित मोहल्ला किदवईनगर
कुल क्षेत्रफल 4289 ~~[illegible]~~ वर्गगज (चार हजार दो सौ नवासी) जिसकी
चौहद्दी निम्न प्रकार हैं :-

पूरब : भू0सं0 543/3 व 8 (पांच सौ तैतालिस/तीन व आठ)

पश्चिम : भू0सं0 543/10 व 17 (पांच सौ तैतालिस/दस व सतरह)

उत्तर : 40.00 फीट सड़क (चालीस)

दक्षिण : 100.00 फीट सड़क (एक सौ)

क्रेता के हस्ताक्षर प्राधिकरण की ओर से तथा उसके द्वारा प्राधिकृत

Mahender Singh Charanjeet Singh

Mahender Singh Charanjeet Singh

नाम : सर्वश्री महेन्द्र सिंह, चरनजीत सिंह व सुरजीत सिंह

122/125, सरोजनी नगर, कानपुर।

पता :

D. S. RATHORE
Deputy Secretary
ZONE-4

साक्षी (१)........................ साक्षी (२)........................

साक्षी (१)........................ साक्षी (२)........................

For Collage Group Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

आज दिनांक 17-5-08 को फोटोस्टेट प्रति
पुस्तक संख्या 1 खण्ड 601 के पृष्ठ संख्या
153-154 पर क्रम संख्या 2250 पर
रजिस्ट्रीकृत किया गया

उप निबन्धक
कानपुर नगर-IV

बही नं॰ 1 जिल्द नं॰ 696 के पृष्ठ ... क्र॰ नं॰ 2250 मु॰ नं॰ 2251 ... 55-56

... कु॰ ...

आज दि॰ 22-1-2010 को ...

सत्य प्रतिलिपि

10.12.09

भूखण्ड/भवन सं० 543/9 ब्लाक सं० के योजना सं० - 2, 1 कदम ...

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा-संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-१९७३ के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति क्रेता के पक्ष में फ्री-होल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु क्रेता द्वारा विक्रेता को फ्री होल्ड शुल्क सहित भूखण्ड के सम्पूर्ण मूल्य के किये गये भुगतान के प्रति फलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका पालन करेगा, को ध्यान में रखकर विक्रेता एतद् द्वारा वह सह सम्पत्ति उसकी सीमाओं सहित जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और स्पष्टीकरण हेतु जिसका साइट प्लान इस विलेख के साथ संलग्न है, फ्री-होल्ड घोषित करते है और उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और क्रेता, उसके दायाधिकारी और समनुदेशितो सदा के लिये उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख के निष्पादन के दिनांक 3.3.1999 से इसकी अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्राप्त हो जायेगा और तद्नुसार क्रेता उस भूखण्ड को प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमो के अधीन रहते हुए अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने अथवा हस्तान्तरण के लिये स्वतंत्र रहेगा।

इस विलेख की अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति या उस निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करो और उस पर भविष्य में लगाये गये/जाने वाले करों का भुगतान क्रेता करेगा।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके विषय पर यदि कोई विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच भी उसके बीच कभी उठ खड़ा हो तो वह निर्णय हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भेजा जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे।

यदि किसी समय/अवसर पर यह पाया जाता है कि क्रेता ने किसी तथ्य को छिपाकर अथवा मिथ्या तथ्यों के आधार पर अथवा त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतिकरण अथवा धोखाधड़ी के आधार पर यह विलेख निष्पादित किया है तो यह विलेख प्राधिकरण के विकल्प (आप्धान) पर निष्प्रभावी/शून्य हो जायेगा। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण को यह विलेख निरस्त करने तथा क्रेता द्वारा भूमि/भवन क्रय किये जाने हेतु प्राधिकरण को किये गये भुगतान की धनराशि को जब्त करने का अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा एवं क्रेता पर बाध्य होगा तथा किसी भी विधिक अथवा अन्य कार्यवाही में इस प्रकरण का विवाद नहीं उठाया जायेगा।

Mahender Singh Charanjeet Singh Surjeet Singh
Mahender Singh Charanjeet Singh Surjeet Singh

For Collage Group Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

कानपुर नगर महापालिका

जमीन का चित्र

भूमि का क्षेत्रफल 4.289

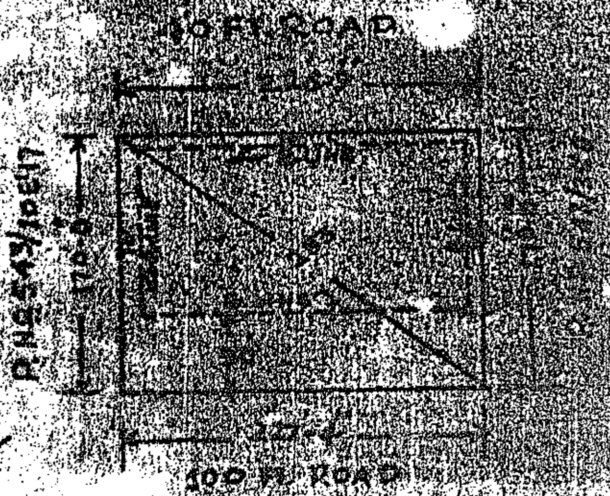

D. S. RATHORE
Deputy Secretary
ZONE-4

D. S. RATHORE
Deputy Secretary
ZONE-4

Mahender Singh
Charanjeet Singh
Surjeet Singh
Mahinder Singh
Charanjeet Singh
Surjeet Singh

मौके की जांच करने वाले :- Shar Ahmad 28.9.67

क्षेत्रफल की जांच करने वाले :- 17.10.67

R. S. Dadhal

17.10.67

नक्शा निर्माता :- सोनकर नक्शा विभाग अधीक्षक :- 17.10.67 अधिशासी अभियन्ता नियोजन

सत्य प्रतिलिपि

For Collage Group Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

[illegible]ated with D.O. No. 2240 of 199

SB-IV